

(अम एवं रोजगार मंत्रालय] भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय/Headquarters पंचदीप भवन] सीआईजी मार्ग] नई दिल्ली-110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 110002 Email: <u>dpc-medhq@esic.nic.in</u> Website: <u>www.esic.nic.in</u> / <u>www.esic.in</u>

A-33012/1/2024-DPC(M)

Date: 30/10/2024

कार्यालय आदेश संख्या 09/2024

पुनरीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति (D.P.C.) की अनुशंसा के आधार पर, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जी.डी.एम.ओ. उप संवर्ग में, वेतनमान लेवल-13 में मुख्य चिकित्सा आधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) पद पर कार्यरत निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी को वेतनमान लेवल-14 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) पद पर, दर्शाई गई तिथि के अनुसार पदोन्नति (अविभावी प्रावधान/ योजना, निगम के भर्ती विनियमों आदि के अंतर्गत) के आदेश दिए है:-

On the recommendations of the Review Departmental Promotion Committee (D.P.C.), Chairman, Employees' State Insurance Corporation has ordered the promotion of the following Medical officers in GDMO Sub-cadre, working as Chief Medical Officer(Non-Functional Selection Grade) in level 13 of pay matrix to the post of Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) in level 14 of pay matrix (under prevailing Provisions/Scheme, Recruitment Regulations of ESIC etc.) from the date shown against her name: -

| संख्या | नाम, पहचान संख्या & तैनाती | पूर्वघोषित पदोन्नति | परिशोधित | पूर्व में जारी आदेश |
|--------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Sl No. | स्थान | तिथि | पदोन्नति तिथि | 03/2020 में क्रम संख्या |
| | Name, Emp. ID & PoP | Date of Promotion Declared earlier | Revised date of Promotion | Sl No. in the order 0 1/ 2020 issue earlier |
| 1. | Dr. S K Geetha, 112852 & ESICH KK Nagar, Chennai | 16 / 12 / 2018 | 16 / 06 / 2018 | 9 |

उक्त आदेश (01/2020) की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

Rest of the conditions as mentioned in the said order (01of 2020) will remain same.

(राजेश प्रसाद गुप्ता) सहा. निदेशक (विभागीय पदोन्नति प्रकोष्ठ) (डी.पी.सी चि.-चि.प्र)

प्रतिलिपि :-(ESIC website के माध्यम से—आवश्यक कार्रवाई हेतु)

- 1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उनके नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
- 2. संबंधित चिकित्सा अधीक्षक/डीन, क.रा.बी.निगम अस्पताल/मेडिकल कॉलेज।
- 3. संबंधित क्षेत्रीय निदेशक।
- 4. संयुक्त निदेशक (वित्त)/उप निदेशक(वित्त) संबंधित,क.रा.बी.निगम अस्पताल।
- 5. चिकित्सा शाखा-IV/ चिकित्सा शाखा-VI ।
- गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियां।